पत्रांक 1178-4 जी0 एस0 II-71/8459

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. सभी विभागीय अध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला मण्डल और सभी उपायुक्त तथा उप मण्डल अधिकारी, हरियाणा ।

2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट और सभी जिला तथा सत्र न्यायाधीश हरियाणा ।

दिनांक चण्डीगढ़, 22 अप्रैल 1971 ।

विषय :—भूतपूर्व सैनिकों को सिविल नौकरी में पुनः स्थापित करना ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि हरियाणा सरकार के परिपत्र नं0 5948-6 जी0 एस0- 67/6942 दिनांक 25 मार्च 1968 उपरोक्त विषय का हवाला दूं और कहूं कि हरियाणा सरकार ने स्थिति का पुनः निरीक्षण करके अनुभव किया है कि भूतपूर्व सैनिकों का समाहार आरक्षित पदों पर सन्तोषजनक तरीके से नहीं हो रहा है । और भूतपूर्व सैनिकों की सहायता के लिए विशेष उपाय करना जरूरी है । इसलिए यह निर्णय किया है कि उन्हें आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त करने के साथ साथ यदि दूसरी बातें समान हों, तो भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षित ( ) रिक्तियों को भरते समय भी प्राथमिकता देनी चाहिए ।

2. यह प्रार्थना की जाती है कि इन अनुदेशों को सावधानी से अनुपालना करने के लिए अंकित करें और इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें ।

भवदीय,
हस्ता/-
उप सचिव, सचिवालय स्थापना,
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

पृष्ठांकन 1178-4 जी0 एस0-II-71/8640 दिनांक चण्डीगढ, 22 अप्रैल 1971

एक प्रति महालेखापाल शिमला तथा अध्यक्ष हरियाणा लोक सेवा आयोग चण्डीगढ, अध्यक्ष अधिनियम सेवा प्रकरण मण्डल हरियाणा, चण्डीगढ । सभी वित्तायुक्त, हरियाणा, सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ भेजी जाती है ।